

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक अभियोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2016

विषय:-अभियोजन निदेशालय के अधीन कार्यरत अधिकारियों के संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अभियोजन निदेशालय के अधीन कार्यरत अधिकारियों के पदों के संबंध में शासन के आदेश संख्या-3181(1)/छ:-पु0-9-11-31(15)/2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 एवं आदेश संख्या-1467/छ:-पु0-9-13-31 (1)(स्था0)/2012, दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा समुचित आदेश निर्गत किए गये थे।

2- अभियोजन विभाग की प्रशासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के 11 मण्डलीय जनपदों में सृजित संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद के अतिरिक्त शेष 64 जनपदों में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के 02 पदों में से 01 पद को संयुक्त निदेशक अभियोजन के स्तर पर उच्चीकृत किया जाता है एवं प्रदेश के 07 मण्डलीय कार्यालय यथा- आजमगढ़/बस्ती/चित्रकूट/ देवीपाटन/झांसी/मिर्जापुर एवं सहारनपुर में स्वीकृत संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद को अपर निदेशक अभियोजन के पद पर उच्चीकृत किया जाता है।

3- उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप अभियोजन संवर्ग के कुल नियतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संशोधित व्यवस्था के अनुसार अभियोजन संवर्ग के अपर निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पदों का अजनपदीय/जनपदीय नियतन निम्नानुसार होगा:-

(क) अपर निदेशक अभियोजन/संयुक्त निदेशक अभियोजन पद विवरण (अजनपदीय)-

क्र0	कार्य स्थल	अपर निदेशक अभियोजन	संयुक्त निदेशक अभियोजन
1.	अभियोजन निदेशालय	1	1
2.	पुलिस महानिदेशक कार्यालय	1	-
3.	सीबीसीआईडी	1	1
4.	सतर्कता लखनऊ	1	1
5.	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	-	1
6.	मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ	-	1
7.	डा0 भी0रा0अ0पु0मुरादाबाद	-	1
8.	ई0अ0डब्लू0	-	1
कुल योग-		04	07

(ख) अपर निदेशक अभियोजन/संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों नवीनतम मण्डल/जनपदवार नियतन-

मण्डल का क्रमांक	मण्डल का नाम	मण्डल के अन्तर्गत स्थित जनपद	अपर निदेशक अभियोजन	संयुक्त निदेशक अभियोजन	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
1	2	3	4	5	6

1	आगरा	आगरा	1	1	1
		फिरोजाबाद		1	1
		मैनपुरी		1	1
		मथुरा		1	1
2	अलीगढ़	अलीगढ़	1	1	1
		एटा		1	1
		हाथरस		1	1
		कासगंज		1	1
3	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1	1	1
		फतेहपुर		1	1
		कौशाम्बी		1	1
		प्रतापगढ़		1	1
4	आजमगढ़	आजमगढ़	1	1	1
		बलिया		1	1
		मऊ		1	1
5	बस्ती	बस्ती	1	1	1
		सिद्धार्थनगर		1	1
		संतकबीर नगर		1	1
6	बरेली	बरेली	1	1	1
		बदायूं		1	1
		पीलीभीत		1	1
		शाहजहाँपुर		1	1
7	चित्रकूट	चित्रकूट	1	1	1
		बांदा		1	1
		हमीरपुर		1	1
		महोबा		1	1
8	देवीपाटन	गोण्डा	1	1	1
		बलरामपुर		1	1
		बहराइच		1	1
		श्रावस्ती		1	1
9	फैजाबाद	फैजाबाद	1	1	1
		बाराबंकी		1	1
		अम्बेडकरनगर		1	1
		सुल्तानपुर		1	1
		अमेठी		1	1
10	गोरखपुर	गोरखपुर	1	1	1
		देवरिया		1	1
		महाराजगंज		1	1
		कुशीनगर		1	1
11	झाँसी	झाँसी	1	1	1
		जालौन		1	1
		ललितपुर		1	1
12	कानपुर	कानपुर नगर	1	1	1
		फतेहगढ़		1	1
		इटावा		1	1
		कानपुर देहात		1	1
		कन्नौज		1	1
		औरैया		1	1
13	लखनऊ	हरदोई	1	1	1
		खीरी		1	1
		लखनऊ		1	1

Om

		रायबरेली		1	1
		उन्नाव		1	1
		सीतापुर		1	1
14	मेरठ	मेरठ	1	1	1
		गौतमबुद्धनगर		1	1
		गाजियाबाद		1	1
		बुलन्दशहर		1	1
		बागपत		1	1
		हापुड़		1	1
15	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	1	1
		अमरोहा		1	1
		बिजनौर		1	1
		रामपुर		1	1
		सम्भल		1	1
16	मीरजापुर	मीरजापुर	1	1	1
		भदोही		1	1
		सोनभद्र		1	1
17	सहारनपुर	सहारनपुर	1	1	1
		मुजफ्फरनगर		1	1
		शामली		1	1
18	वाराणसी	वाराणसी	1	1	1
		गाजीपुर		1	1
		जौनपुर		1	1
		चन्दौली		1	1
		योग-	18	75	75

4- उपर्युक्तानुसार संशोधन के पश्चात् अभियोजन विभाग में अपर निदेशक अभियोजन के 22, संयुक्त निदेशक अभियोजन के 82, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के 178, अभियोजन अधिकारी के 404 एवं सहायक अभियोजन अधिकारी के 580 पदों का नियतन होगा। संवर्ग के नियतन का कुल योग पूर्व की भांति 1266 ही रहेगा।

5- अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन संबंधी शासनादेश संख्या-3181(1)/छ:-पु0-9-11-31(15)/ 2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011, संख्या-1467/छ:-पु0-9-13-31 (1)(स्था0)/2012, दिनांक 31 मई, 2013 व समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों द्वारा निर्धारित अभियोजन संवर्ग के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (अजनपदीय), अभियोजन अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी (जनपदीय/अजनपदीय) का नियतन पूर्ववत् रहेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-747/दस-2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।


  
 (मणि प्रसाद मिश्र)  
 सचिव।

**संख्या: एवं दिनांक: उपरोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, एनेक्सी भवन, लखनऊ।
- (3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (4) निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊ।

- (5) अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) पुलिस महानिदेशक, डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
- (7) पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0, लखनऊ।
- (8) पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (9) पुलिस महानिदेशक, खाद्य प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (10) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (11) पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (12) पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (13) अपर पुलिस महानिदेशक, सहकारित, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (14) अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (15) अपर पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्लू, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (16) अपर पुलिस महानिदेशक, जी0आर0पी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (17) अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0-2, मुरादाबाद।
- (18) अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0-3, सीतापुर।
- (19) अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (20) पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0सी0, सीतापुर।
- (21) पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0एस0 मुरादाबाद/मेरठ/गोरखपुर/उन्नाव।
- (22) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ।
- (23) पुलिस उप महानिरीक्षक, आर0टी0सी0, चुनार।
- (24) पुलिस उप महानिरीक्षक, ए0टी0सी0, लखनऊ।
- (25) शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (26) शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
- (27) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (28) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (29) समस्त पुलिस महानिरीक्षक (जोन), उ0प्र0।
- (30) समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (31) समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (32) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (33) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
- (34) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश।
- (35) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश गृह विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।/गृह नियंत्रण कक्ष के Up home all वेबसाइट हेतु।
- (36) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,  
  
 (उमेश कुमार तिवारी)  
 अनु सचिव।